भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 347
उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र

347. श्री ए. राजाः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार 2047 तक कुल जनसंख्या के 20% हिस्से के वरिष्ठ नागरिक हो जाने को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बना रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोई नया क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) स्थापित किए जाने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आरआरटीसी की कुल संख्या कितनी है और वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं; और

(घ) देश में वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध रियायतों और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और क्या वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क): वृद्धजनों के संबंध में वर्तमान राष्ट्रीय नीति में वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनकी वितीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, संरक्षण और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य के समर्थन का विचार किया गया है।

(ख) से (ग): अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत 11 क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) कार्यरत हैं, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के समग्र निर्देशन और पर्यवेक्षण में वृद्धजन देखभाल पर प्रमुख नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं मंत्रालय द्वारा आवंटित अपने-अपने राज्यों में वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रमों पर समग्र तकनीकी

सहायता और जानकारी प्रदान करते हैं। आरआरटीसी की सूची और उनके स्थान **संलग्नक-I** में दिए गए हैं।

(घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) नामक एक व्यापक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:-

i. एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) - वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

ii. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) - भारत सरकार यह समझती है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के तहत, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य योजना की भागीदारी और कार्यान्वयन में सभी राज्य सरकारों की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है। जागरूकता पैदा करने, संवेदनशीलता बढ़ाने, मोतियाबिंद सर्जरी और राज्य विशिष्ट गतिविधियों जैसे कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

iii. एल्डरलाइन: राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन का उद्देश्य विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अधिनियम, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करना है।

iv. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)' का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों अथवा 15000/- रुपये से कम मासिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों और आयु-संबंधी दिव्यांगताओं/विनिर्योग्यताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र उपलब्ध कराना है, जो उनके शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य स्थिति में ला सकें। यह योजना 01.04.2017 को शुरू की गई थी। इस योजना को 'कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)' (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के माध्यम से एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया जाता है।

v. सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई) - आम तौर पर सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए विशिष्ट और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने के लिए, वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को विकसित करने हेतु अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टार्ट-अप का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और निधि इक्विटी के रूप में प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि सरकारी निवेश फर्म की कुल इक्विटी के 49% से अधिक न हो।

vi. वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण- इसका मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके।

vii. वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल: स्वस्थ और उपयोगी वृद्धावस्था हेतु देश भर में कई पहल की जा रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य वृद्धों को ज्ञान के निर्माण में शामिल करना है जो समग्र रूप से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यकता आधारित भरण-पोषण और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 को अधिसूचित किया है। अधिनियम में बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण का प्रावधान किया गया है, जो न्यायाधिकरणों के माध्यम से अनिवार्य और न्यायोचित बनाया गया है, जिसमें रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द किए जाने, वरिष्ठ नागरिकों को त्यागने पर दंडात्मक प्रावधान, निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट, ई-अनुदान पोर्टल, सोशल मीडिया और राज्य सरकारों के माध्यम से प्रचार-प्रसार के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाएं और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के महत्व और आवश्यकताओं के बारे में देश भर में जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी जाने वाली रियायतों और सुविधाओं का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

संलग्नक I

लोक सभा में दिनांक 22/07/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 347 के भाग (ख) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के तहत क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) - नाम और स्थान

क्र.सं.	आरआरटीसी के नाम	पता	आवंटित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	अनुग्रह	बी-33, ग्राउंड फ्लोर, आर्य नगर अपार्टमेंट, 91, सीएनजी स्टेशन के सामने, आई.पी एक्सटेंशन, दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर,
2.	नाइटिंगेल्स मेडिकल ट्रस्ट	मकान संख्या 149, प्रथम तल, हयाश्री, क्लाउड नाइन हॉस्पिटल के पास, 11वीं मेन, 16वें और 17वें क्रॉस के बीच, बेंगलुरु, कर्नाटक	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
3.	एकीकृत ग्रामीण विकास और शैक्षिक संगठन	आईआरडीईओ, भूतल, सार्वजनिक तालाब के पास, उयाल वांगबल, तौबल, मणिपुर	मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड
4.	कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोन्टोलॉजी	43, पहला और दूसरा, पुरबलोक, सिंघा बारी ईएम बाईपास, कलिकापुर, ईएम बाईपास, कोलकाता	बिहार, पश्चिम बंगाल
5.	जनसेवा फाउंडेशन	304/721/2ए, तीसरी मंजिल, इंदुलाल कॉम्प्लेक्स, काका हलवाई स्वीट होम के पास, नवी पेठ, लाल बहादुर शास्त्री रोड, पुणे, महाराष्ट्र	विदर्भ (महाराष्ट्र), मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव
6.	सामाजिक परिवर्तन अध्ययन केंद्र	एफ ब्लॉक, प्रथम तल, एमएन रॉय ह्यूमन कैंपस, उत्तर भारतीय भवन कॉलेज के बगल में, मुंबई, महाराष्ट्र	शेष महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा
7.	हेरिटेज फाउंडेशन	प्लॉट नंबर 9, 5वीं मंजिल, क्षेत्र बिल्डिंग, साईं बाबा मंदिर के पास, साईं ऐश्वर्या लेआउट, स्ट्रीट नंबर 18, खाजागुड़ा सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

8.	हेल्पएज इंडिया	लेडी हार्डिंग कॉटेज (नंबर 3), हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पास, बम्बलो, शिमला - 171001, हिमाचल प्रदेश	पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश
9.	राष्ट्रीय महिला विकास संसाधन केंद्र	357/542, ग्राउंड फ्लोर, मां समलेश्वरी मंदिर, गुमली रोड, संबलपुर, ओडिशा	ओडिशा, झारखंड
10.	मिशन आंदोलन	टी/19, तीसरी मंजिल, नगामा बिल्डिंग, विशाल मेगा मार्ट के पास, बावंगकाउन, नगमा बिल्डिंग, बावंगकावन, आइजोल, मिजोरम	असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम
11.	हेल्पएज इंडिया	हेल्पएज इंडिया, 3-सी, त्यागराज कॉम्प्लेक्स, 853, पूनमल्ली हाई रोड, किलपौक, चेन्नई - 600010, तमिलनाडु।	तमिलनाडु, पुडुचेरी

लोक सभा में दिनांक 22/07/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 347 के भाग (घ) में उल्लिखित संलग्नक

1. **<u>ग्रामीण विकास मंत्रालय:</u>** ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) चला रहा है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्ध व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति माह की दर से मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इन लाभार्थियों की 80 वर्ष या उससे अधिक आयु हो जाने पर पेंशन की राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

हालाँकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसएपी पेंशन योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में, वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत यह राशि प्रति लाभार्थी 50 रुपये से लेकर 3800 रुपये प्रति माह तक है। परिणामस्वरूप, कई राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वृद्धावस्था लाभार्थियों को औसतन 1000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है।

एनएसएपी के दिशा-निर्देशों में एनएसएपी की योजनाओं के अंतर्गत पात्रताओं तथा उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पोस्टर, ब्रोशर, मीडिया और अन्य माध्यमों से व्यापक और निरंतर प्रचार सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

2. **<u>रेल मंत्रालय:</u>** वरिष्ठ नागरिकों को समय-समय पर निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं:

i. कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को निचली बर्थ स्वचालित रूप से आवंटित करने का प्रावधान है, भले ही कोई विकल्प न दिया गया हो, जो बुकिंग के समय स्थान की उपलब्धता के अधीन होता है।

ii. वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर श्रेणी में प्रत्येक कोच में छह से सात निचली बर्थ, वातानुकूलित 3 टियर (3AC) श्रेणी में प्रत्येक कोच में चार से पांच निचली बर्थ और वातानुकूलित 2 टियर (2AC) श्रेणी में प्रत्येक कोच में तीन से चार निचली बर्थ (ट्रेन में उस श्रेणी के कोचों की संख्या के आधार पर) का संयुक्त कोटा निर्धारित किया गया है।

iii. सभी क्षेत्रीय रेलवे के उपनगरीय खंडों पर स्थानीय रेल सेवाओं की पूरी अवधि के लिए प्रथम और अंतिम द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम 07 सीटें निर्धारित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

iv. रेलवे द्वारा दिव्यांगजनों, वृद्ध यात्रियों आदि के परिचारकों को व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाती है, जो उन्हें ट्रेन से लाने-ले जाने के लिए बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है।

v. प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर बैटरी चलित वाहन (बीओवी) उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बीमार यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यह सुविधा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और वाणिज्यिक प्रचार माध्यमों के माध्यम से 'निःशुल्क' और शुल्क-आधारित भी प्रदान की जाती है।

vi. गाड़ी के प्रस्थान के बाद, यदि गाड़ी में खाली निचली बर्थ उपलब्ध हैं और यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति, जिसे दिव्यांग रियायत के तहत टिकट बुक किया गया है या कोई वरिष्ठ नागरिक या गर्भवती महिला, जिसे ऊपरी/मध्य बर्थ आवंटित की गई है, खाली निचली बर्थ के आवंटन के लिए संपर्क करता है, तो ट्रेन में मौजूद टिकट जांच कर्मचारी को चार्ट में आवश्यक प्रविष्टियां करके उन्हें खाली निचली बर्थ आवंटित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

vii. महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व सांसदों, विधायकों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आरक्षण संबंधी मांगों को निपटाने के लिए विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों पर अलग काउंटर निर्धारित किए गए हैं, यदि प्रति पाली औसत मांग 120 टिकटों से कम न हो। यदि महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों या वरिष्ठ नागरिकों सहित इन श्रेणियों के किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष काउंटर निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है, तो कुल मांग के आधार पर एक या दो काउंटर इन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के आरक्षण अनुरोधों से निपटने के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

3. **<u>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय:</u>** आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) ने मध्यम स्तर और विशिष्ट स्तर की देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष **5** लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर का प्रावधान किया है। इसका लक्ष्य लगभग **55** करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित करना है, जो भारत की **40%** आबादी के निचले स्तर के **12.37** करोड़ परिवारों हैं। **29** अक्टूबर **2024** को, सरकार ने **70** वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, प्रति वर्ष **5** लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार किया।

इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्धजनों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु 2010-11 के दौरान "वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम" (एनपीएचसीई) शुरू किया था। एनपीएचसीई का उद्देश्य वृद्धजनों को सुलभ, किफायती और उच्च-गुणवत्ता वाली दीर्घकालिक, व्यापक और समर्पित देखभाल सेवाएँ प्रदान करना है। कार्यक्रम के प्रासंगिक घटक इस प्रकार हैं:

क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) घटक: जिला अस्पतालों (डीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), उप-केंद्र/स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक और मध्यम स्तर की देखभाल सेवा वितरण।

ख) तृतीयक घटक ('राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना'): ये सेवाएं 17 मेडिकल कॉलेजों और दो राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्रों (एनसीए) में स्थित क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्रों (आरजीसी) के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, जिनमें से एक एम्स, अंसारी नगर, नई दिल्ली और दूसरा मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में स्थित है।

सेवाओं के पैकेज

इस कार्यक्रम में वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रावधान के लिए दो घटक हैं: जिला/उप-जिला स्तरीय घटक और तृतीयक स्तरीय घटक। दोनों स्तरों पर वृद्धजनों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का पैकेज नीचे दिया गया है:

उप केंद्र:

क) स्वस्थ वृद्धावस्था, पर्यावरण में बदलाव, पोषण संबंधी आवश्यकताएं, जीवन शैली और व्यवहारिक परिवर्तन से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा।

ख) घर पर रहने वाले/बिस्तर पर पड़े वृद्धजनों पर विशेष ध्यान देना तथा दिव्यांग वृद्धजनों की देखभाल के लिए परिवार स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र:

एक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी (एमओ) द्वारा साप्ताहिक वृद्धावस्था क्लिनिक का संचालन। सेवाओं में शामिल हैं: वृद्ध व्यक्तियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन और ब्लड शुगर आदि सहित सामान्य जाँच।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

क) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित कर्मचारियों और पुनर्वास कार्यकर्ताओं द्वारा द्विसाप्ताहिक वृद्धावस्था क्लिनिक और पुनर्वास सेवाओं का प्रबंधन किया जाएगा।

ख) पुनर्वास कार्यकर्ता बिस्तर पर पड़े वृद्धजनों के घर जाएंगे और ऐसे रोगियों की देखभाल के लिए उनके परिवार के सदस्यों को परामर्श देंगे।

जिला अस्पताल:

क) समर्पित वृद्धावस्था ओपीडी सेवाएं, 10 बिस्तरों वाले वृद्धावस्था वार्ड के माध्यम से इनडोर प्रवेश, प्रयोगशाला जांच और पुनर्वास सेवाएं।

ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि द्वारा रेफर किए गए वृद्ध मरीजों के लिए सेवाएं प्रदान करना तथा गंभीर मामलों को विशिष्ट स्तर के अस्पतालों में रेफर करना।

विशिष्ट स्तर

क. क्षेत्रीय वृद्धावस्था केंद्र:

क) मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और उससे नीचे के अस्पतालों से रेफर किए गए जटिल/गंभीर वृद्धावस्था मामलों के लिए विशिष्ट स्तर की सेवाएं प्रदान करना।

ख. राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र

क) चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विषयों को शामिल करते हुए बहुविषयक नैदानिक सेवाओं के साथ उच्च स्तरीय विशिष्ट देखभाल।

ख) विभिन्न नैदानिक विषयों में विशिष्ट ओपीडी देखभाल। विशेष क्लीनिक जैसे मेमोरी क्लिनिक, फॉल एंड सिंकोप क्लिनिक, कमजोर वृद्धजवों के लिए क्लिनिक, एड्स और उपकरण क्लिनिक, इम्प्लांट और कॉस्मेटिक क्लिनिक।

ग) डे केयर सेंटर: जाँच, पुनर्वास, राहत देखभाल, मनोभ्रंश देखभाल, निरंतर देखभाल

घ) इन-पेशेंट देखभाल: गहन देखभाल, तीव्र पुनर्वास, नैदानिक और चिकित्सीय सेवाएँ, दीर्घकालिक पुनर्वास सेवाएँ।

ङ) वृद्धावस्था की सभी उप-विशेषताओं में मानव संसाधन विकास

च) देश में प्रचलित वृद्धावस्था के रोगों के लिए साक्ष्य-आधारित उपचार प्रोटोकॉल विकसित करना।

4. **<u>विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय:</u>** निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27क(कक) के साथ पठित नियम 18(क)(V) के अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक डाक द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।

5. **<u>गृह मंत्रालय:</u>** गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन, संपत्ति, सुरक्षा और संरक्षा की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कई परामर्श जारी किए हैं।

*****